भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 5742**

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना**

5742. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत महाराष्ट्र और अन्य राज्यों हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में आयुष मिशन के अंतर्गत कार्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त मिशन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र को आवंटित निधि और आयुष अस्पतालों/स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की स्थापना हेतु निधि तथा विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत आवर्ती व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में आयुष पद्धति और अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी निधि आवंटित की गई है;

(घ) क्या उक्त आयुष चिकित्सा पद्धति और अवसंरचना का विकास करते समय आकांक्षी जिलों को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आकांक्षी जिलों को किस प्रकार ध्यान में रखा गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): भारत सरकार देश में आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एनएएम दिशा-निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रही है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से देश में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन।
ii. पीएचसी, सीएचसी और डीएच में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।

v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के तहत, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत एसएएपी की स्थिति और महाराष्ट्र सहित आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत धनराशि **संलग्नक-I** पर दी गई है। इसके अलावा, एसएएपी प्रस्तुत करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वर्ष 2025-26 के लिए संसाधन पूल के बारे में सूचित किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2025-2026 के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अभी तक एसएएपी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख): एनएएम के अंतर्गत, विगत पांच वर्षों के दौरान, आयुष अस्पतालों/स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना सहित एसएएपी की विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गैर-आवर्ती और आवर्ती निधियों का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश में आयुष पद्धति और अवसंरचना को विकसित करने के लिए एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत एसएएपी के अनुसार, उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र सहित एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थित प्रमुख पहल/गतिविधियाँ और एनएएम के तहत, आवंटित/जारी की गई निधि क्रमशः **संलग्नक-III** और **IV** पर दी गई हैं।

(घ) से (च): मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एनएएम योजना को कार्यान्वित कर रहा है और जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण**,** आयुष चिकित्सा पद्धतियों और अवसंरचना के विकास के लिए आकांक्षी जिलों सहित जिलों का चयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है।

*****

**संलग्नक-I**

**वर्ष 2024-2025 के लिए महाराष्ट्र सहित आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत एसएएपी की स्थिति और स्वीकृत धनराशि**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रस्तुत एसएएपी | स्वीकृत एसएएपी |
|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 1591.61 | 542.75 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 11790.87 | 2497.19 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 7728.92 | 1498.84 |
| 4 | असम | 10894.14 | 6511.87 |
| 5 | बिहार | 15598.04 | 10132.35 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1007.34 | 447.58 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 13151.95 | 3194.06 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव | 1381.46 | 690.73 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 3650.61 | 610.67 |
| 11 | गुजरात | 13754.81 | 2623.10 |
| 12 | हरियाणा | 5042.5 | 1371.90 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 11346.9 | 2899.08 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 10101.44 | 4361.60 |
| 15 | झारखंड | 13140.35 | 3217.05 |
| 16 | कर्नाटक | 12682.51 | 6067.28 |
| 17 | केरल | 25000.00 | 11037.96 |
| 18 | लक्षद्वीप | 467.42 | 220.47 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 15754.36 | 8169.59 |
| 20 | महाराष्ट्र | 9994.182 | 2681.15 |
| 21 | मणिपुर | 4546.74 | 1276.67 |
| 22 | मेघालय | 8623.34 | 1101.480 |
| 23 | मिजोरम | 1235.40 | 1520.480 |
| 24 | नागालैंड | 3089.97 | 1342.11 |
| 25 | ओडिशा | 8946.77 | 2369.21 |
| 26 | पुडुचेरी | 2578.0 | 683.40 |
| 27 | पंजाब | 7036.199 | 1701.10 |
| 28 | राजस्थान | 58144.11 | 15051.79 |
| 29 | सिक्किम | 700.49 | 434.78 |
| 30 | तमिलनाडु | 21214.57 | 3690.16 |
| 31 | तेलंगाना | 9956.92 | 6181.54 |
| 32 | त्रिपुरा | 16773.49 | 815.77 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 107167.99 | 13903.18 |
| 34 | उत्तराखंड | 5547.40 | 2441.12 |
| 35 | पश्चिमी बंगाल | 7984.12 | 2308.43 |
| 36 | लद्दाख | 308.09 | 190.28 |
| **कुल** | | **447933.011** | **447933.011** |

**संलग्नक-II**

**विगत पांच वर्षों के दौरान, एनएएम के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य को आवंटित गैर-आवर्ती और आवर्ती निधियों का ब्यौरा**

| | | | **(लाख रुपये में)** |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **आवर्ती** | **गैर आवर्ती** | **कुल** |
| 2019-20 | 1652.682 | 2655.961 | 4308.643 |
| 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-24 | 832.906 | 1402.63 | 2235.536 |
| 2024-25 | 1232.377 | 1448.78 | 2681.157 |
| **कुल** | **3717.965** | **5507.371** | **9225.336** |

**संलग्नक-III**

**चालू वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान, एसएपी के माध्यम से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार समर्थित प्रमुख पहल/गतिविधियाँ:-**

(i) एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 150 इकाइयों को समर्थन दिया गया, जिनमें जालना, ठाणे, नागपुर, उस्मानाबाद, गोंदिया, छत्रपति संभाजी नगर और बुलढाणा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों (आईएएच) की 04 इकाइयां और महाराष्ट्र के जलगांव, गढ़चिरौली और वर्धा में 30 बिस्तरों वाले आईएएच की 03 इकाइयां शामिल हैं।

(ii) महाराष्ट्र में 14 आयुष औषधालयों सहित अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 138 आयुष अस्पतालों और 1265 आयुष औषधालयों को समर्थन दिया गया है।

(iii) महाराष्ट्र में 261 सह-स्थापित आयुष सुविधाओं सहित प्रत्येक वर्ष औसतन 1199 पीएचसी, 465 सीएचसी और 209 डीएच को दवाओं और आकस्मिक सहायता के लिए सह-स्थापन के तहत आवर्ती समर्थन दिया गया है।

(iv) प्रत्येक वर्ष औसतन 1033 आयुष अस्पतालों और 10608 आयुष औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिसमें महाराष्ट्र में 385 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 261 सह-स्थापित आयुष सुविधाएं शामिल हैं।

(v) नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 08 इकाइयों को समर्थन दिया गया।

(vi) महाराष्ट्र में 53 स्नातक और 33 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को अवसंरचना, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए समर्थन दिया गया है, जिनमें 5 स्नातक और 03 स्नातकोत्तर संस्थान शामिल हैं।

(vii) महाराष्ट्र में 24 आयुष ग्रामों सहित 699 आयुष ग्रामों को समर्थन दिया गया है।

(viii) महाराष्ट्र में 385 एएएम (आयुष) सहित 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को मंजूरी दी गई है।

**संलग्नक-IV**

**पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवंटित धनराशि का विवरण:**

**(लाख रुपये में)**

| **क्र.सं.** | **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 365.41 | 251.80 | 296.06 | 142.38 | 407.28 | 542.75 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1900.59 | 385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2497.19 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 383.33 | 678.09 | 180.85 | 402.04 | 1186.04 | 1498.84 |
| 4 | असम | 1601.32 | 347.15 | 639.52 | 1011.77 | 3471.45 | 6511.87 |
| 5 | बिहार | 2661.29 | 516.53 | 1686.07 | 0.00 | 1161.06 | 0.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 195.80 | 94.86 | 189.73 | 226.31 | 447.58 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 2691.06 | 841.30 | 0.00 | 2151.42 | 3194.06 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव | 63.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.45 | 690.73 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 118.65 | 65.98 | 218.98 | 142.28 | 628.30 | 610.67 |
| 11 | गुजरात | 2229.69 | 244.01 | 466.92 | 1908.62 | 2961.42 | 2623.10 |
| 12 | हरियाणा | 2299.47 | 3034.42 | 647.70 | 1219.90 | 3026.58 | 1371.9 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2045.89 | 494.94 | 1261.80 | 3873.57 | 3659.22 | 2899.08 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 1848.53 | 2285.75 | 1313.10 | 4895.08 | 7510.36 | 4361.6 |
| 15 | झारखंड | 1522.31 | 0.00 | 1309.76 | 7752.57 | 2390.42 | 3217.05 |
| 16 | कर्नाटक | 1791.70 | 2184.37 | 1821.46 | 1714.08 | 5031.54 | 6067.28 |
| 17 | केरल | 1540.53 | 2337.58 | 1153.38 | 4399.82 | 7989.40 | 11037.96 |
| 18 | लक्षद्वीप | 426.87 | 19.60 | 64.25 | 116.32 | 332.01 | 220.47 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 4012.34 | 5608.63 | 3123.19 | 1716.00 | 6120.00 | 8169.59 |
| **20** | **महाराष्ट्र** | **4308.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2235.53** | **2681.15** |
| 21 | मणिपुर | 907.07 | 571.72 | 170.04 | 1723.00 | 0.00 | 1276.67 |
| 22 | मिजोरम | 199.51 | 657.73 | 259.08 | 117.27 | 1057.85 | 1101.48 |
| 23 | मेघालय | 348.21 | 247.97 | 609.78 | 796.84 | 1722.60 | 1520.48 |
| 24 | नागालैंड | 950.58 | 1254.89 | 232.27 | 495.78 | 1016.97 | 1342.11 |
| 25 | ओडिशा | 726.09 | 716.64 | 1075.38 | 0.00 | 0.00 | 2369.21 |
| 26 | पुडुचेरी | 238.41 | 47.66 | 200.27 | 623.95 | 197.08 | 683.4 |
| 27 | पंजाब | 1155.49 | 89.77 | 527.28 | 0.00 | 109.85 | 1701.1 |
| 28 | राजस्थान | 1987.59 | 2276.40 | 3189.00 | 0.00 | 3731.51 | 15051.79 |
| 29 | सिक्किम | 330.59 | 350.44 | 99.30 | 626.06 | 492.37 | 434.78 |
| 30 | तमिलनाडु | 1993.91 | 616.58 | 2348.26 | 2428.68 | 6635.76 | 3690.16 |
| 31 | तेलंगाना | 934.17 | 0.00 | 3132.25 | 0.00 | 1225.16 | 6181.54 |
| 32 | त्रिपुरा | 0.00 | 270.08 | 138.71 | 1030.90 | 566.99 | 815.77 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 7923.69 | 10373.85 | 13809.72 | 14437.59 | 12418.59 | 13903.18 |
| 34 | उत्तराखंड | 825.34 | 656.46 | 2622.50 | 1855.79 | 3234.37 | 2441.12 |
| 35 | पश्चिमी बंगाल | 1849.74 | 247.34 | 2118.04 | 1056.58 | 3379.38 | 2308.43 |
| 36 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 187.45 | 72.26 | 47.32 | 190.28 |
| | **कुल** | **49490.8** | **39718.64** | **45838.53** | **54748.86** | **86732.59** | **113654.37** |